

2024/647

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत 34/08 काचि करी मुकाम 5/5/2024

..... इ.मु.क. को पुत्र सुमी का लक्ष्मी बराम सुमी पुत्र कहरु लक्ष्मी मरुत मि. मल्लिकार्जुन

किस्त मुकदमा नि. मल्लिकार्जुन सं. 201/2024 सन्.

प्रतिना पत्र 4/3/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

6/11/2024

वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया जा रहा है कि यह प्रार्थना पत्र अर्जित धारा 212 R.M. के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर एग अर्जित जज जरिए नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 8-1-2025 को पेश हो।

W/keas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

8/11/2025

वकील प्रार्थी उपस्थित /

अंतरिम अर्थात् निवेदन पत्रावली करने के बिना पर अतिवक्त प्रार्थी के उर्क हुने पर / तर्कों पर ध्यान करने व रेकर्ड के अवलोकनो पराप्त अर्थात् जज को जरिए अंतरिम अर्थात् निवेदन के पाठ्य किया जा रहा है कि व अर्थात् तनाजा खेत खण्ड नम्बर 219 रुस्तुद मल्ला (खसरी) गहरीच मौलानगर का विद्युत / रस्ता नान्दरा नदी सेज व विद्युत कार्य वती कोज तथा वास्तु रिपोर्ट की प्रार्थना कर रहे हैं।

पत्रावली दिनांक 13-2-2025 को पेश हो अर्थात् जज जरिए Regd/AD जज के तलब किया करने।

W/keas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

13/2/25
पत्रावली पेश हुई। श्री मन् P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 4/3/25 को पेश हो।

4/3/25
व प्रकाश अ.।
अर्थात् नि. 1 ला 4 व 6 की फोटो 0-7 R-11 CR
का अर्थात् पत्र पेश हुआ कि पत्रावली अर्थात् ल हो।



12-01-24

पत्रावली पेसा हुई। वकील पार्थी ऊरु।
वकील अपार्थी उपस्थित।

पार्थना पत्र से संबंधित वाद का निस्तारण
किया जा चुका है। मूल वाद का निस्तारण होने
के बाद पार्थना पत्र का कोई कोई प्रयोज्य नहीं
रहना है। अतः पार्थना पत्र मूल वाद के
निस्तारण होने से स्वतंत्र किया जाकर
फैसल सूभार होकर नम्बर से ऊभ हो।

Wras
उपखण्ड अधिकारी
डीडताना